



प्रेस नोट

उ.प्र. एटीएस द्वारा अभियोग में वांछित 25000रु०का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक : 27 जुलाई, 2019

उ.प्र.एटीएस द्वारा दिनांक 27-07-2019 को मु०अ०सं०-2/2018 धारा- 419,420,467,468,471,120B,121A IPC & 3/5 इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट व धारा 4/20/25 इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, थाना- एटीएस, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में वांछित अभियुक्त सौरभ शुक्ला उर्फ शिबू शुक्ला, पुत्र-रविशंकर शुक्ला, निवासी- ग्राम-अगहर, पोस्ट-बागड़ थाना- रामपुर, जनपद- सीधी, मध्यप्रदेश को चन्द्र शेखर आजाद पार्क के सामने, थाना – करनैलगंज,जनपद प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया।

अभियुक्त सौरभ शुक्ला की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस महानिदेशक उ.प्र.एटीएस द्वारा 25,000रु का इनाम घोषित किया गया था।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 24-03-2018 को उ.प्र.एटीएस टीम द्वारा जनपद गोरखपुर,लखनऊ,प्रतापगढ़,रीवा,महाराष्ट्र से 11 व्यक्ति गिरफ्तार किये गए थे, जो भारत में पाकिस्तानी हैडलर के निर्देश पर अपराधिक षड्यंत्र व कूटरचना करते हुए विभिन्न बैंक खातों में भारत के विभिन्न स्थान से भारी धनराशि मंगवाकर, भिन्न भिन्न जगहों व लोगों को वितरित करते थे। उक्त अभियुक्त भी पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तों का सहयोगी है।



सौरभ शुक्ला उर्फ शिबू शुक्ला

गिरफ्तार अभियुक्त

नाम- सौरभ शुक्ला उर्फ शिबू शुक्ला

पिता- रविशंकर शुक्ला

पता- ग्राम-अगहर, पोस्ट- बागड़, थाना- रामपुर, जनपद- सीधी

मध्यप्रदेश

उम्र -24 वर्ष

बरामदगी

- पैन कार्ड
- दो एटीएम कार्ड
- बिना नंबर की पल्सर मोटर साइकिल
- वोटर आईडी कार्ड
- डीएल
- दो आधार कार्ड

विवरण

- दिनांक 22.03.2018 को थाना-एटीएस, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में मु०अ०सं०2/- धारा 2018 419,420,467,468,471,120B,121A IPC & 3/5 इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट व धारा 4/20/इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 25 पंजीकृत किया गया था।

आरोप

- पाकिस्तान से फ़ोन और इन्टरनेट द्वारा अपने नेटवर्क के सदस्यों के साथ पाकिस्तानी हैण्डलर के संपर्क में रहता था।
- यह लोगो को झासा देकर, बैंकों में खाता खोलवाकर उनका अकाउंट नंबर, एटीएम कार्ड लेकर उन खातों से पाकिस्तानी हैण्डलर के निर्देश पर धनराशि का अपराधिक लेन-देन करता था।

- अभियुक्त सौरभ शुक्ला उक्त अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु UP ATS द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था।
- अभियुक्त सौरभ शुक्ला की तलाश हेतु अभियोग के विवेचक के अनुरोध पर एक टीम का गठन कर फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया था। एटीएस की टीम को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं ग्राउंड सर्विलांस के आधार पर सूचना प्राप्त हुई कि फरार अभियुक्त सौरभ शुक्ला जनपद प्रयागराज उ.प्र.में है।
- अभियुक्त सौरभ शुक्ला की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस महानिदेशक उ.प्र.एटीएस द्वारा 25,000रु का इनाम घोषित किया गया था।

अग्रिम कार्यवाही

- अभियुक्त उपरोक्त को प्रयागराज से गिरफ्तारी के उपरान्त लखनऊ लाया जा रहा है।
- गिरफ्तार अभियुक्त सौरभ शुक्ला को कल दिनांक 28.07.2019 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर पुलिस कस्टडी रिमांड लिया जाएगा।

गिरफ्तार करने वाली टीम

निरीक्षक सुशील कुमार सिंह, उ.नि. मोहम्मद तारिक , उ.नि.शैलेंद्र गिरि, मु .आ.तनवीर अहमद .आ.मु , हरीश सिंह चौहान ,आरक्षी आलोक कुमार ,आरक्षी शशि भूषण आरक्षी,जितेंद्र यादव आरक्षी,राकेश कुमार यादव एटीएस उ.प्र.

~असीम अरुण

ADG UP ATS.



अभियुक्त के हाईरेजोल्यूशन फोटो के लिए यहाँ क्लिक करें –

<https://drive.google.com/file/d/1iKqI043g2xE7XjAwwbPHcmUmKdr1uPMG/view?usp=sharing>